



# कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-jccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0स्थानिय0/वि0प्र0-01(2018-19) - 1939

दिनांक: 29 02 18

प्रेषक:

संजय कुमार, भा0ब0र0,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं  
मुख्य वन्य प्राणी: प्रतिपालक, झारखंड, राँची।

**विषय:** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-धानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

**प्रसंग:-** योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार, राँची का पत्रांक 29/बी0टी0ई0-10/2017-18/77/बजट, दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के 29-व्यवसायिक सेवाएँ इकाई में 5.00 लाख रु0 (पांच लाख रु0) की आवंटन दी जाती है।


1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-10/2017-18 /77/बजट राँची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन इस कार्यालय के पत्रांक 847 दिनांक 28.02.2018 द्वारा पलामू व्याघ्र योजना में निवास कार्य के सहसामयिक अनुश्रवण के लिए दिए गए 5.00 लाख रु0 के आवंटन तथा पत्रांक 560 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा दिए गए 7.00 लाख रु0 का आवंटन (जिनमें से 2.00 लाख रु0 वन भूमि अभिलेख संधारण के लिए तथा 5.00 लाख रु0 पलामू व्याघ्र परियोजना में विकास कार्य के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए था) जिसकी विस्तृत कार्य विवरणी इस कार्यालय के पत्रांक 401 दिनांक 29.01.2018 एवम् स्मार पत्रांक 688 दिनांक 20.02.2018 में दी जा चुकी थी, के क्रम में दी जा रही है। वर्तमान आवंटित राशि से पलामू व्याघ्र योजना क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्य का इस वर्ष (2018-19) में स्वतंत्र सहसामयिक अनुश्रवण (Concurrent monitoring) कराया जाय। साथ ही वर्ष 2017-18 में कराए गए स्वतंत्र अनुश्रवण प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र समर्पित किया जाय। विदित होगा कि रिट प्राधिका सं0 3503/2014 विकास महती बनाम राज्य सरकार एवम् अन्य में इस स्वतंत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर भविष्य में यथाआवश्यकता प्रतिशपथ पत्र दाखल करना समीचीन होगा।

911

आवंटन आदेश पत्र संख्या-BWLDA/01-18-19/46B की नूल प्रति अत्र-रह-तलगत है।


अनु०-यथो०:


विश्वासभाजन,

  
29/5/18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

झारखंड, राँची।

  
29/5/18



## आरखंड अरकर

प्रा.सू. निरीक्षक एवं २०११-१२ में एच.ए.ए.ए. निरीक्षणित होकर १४ अक्टूबर २०११ को अगस्त अर्द्धवार्षिक आंकड़ों को जारी किया।

दिनांक - 29-May-2

[illegible]

सन्धि शेष क्षण

POST OFFICE BOX 100  
**WILSON RANCH**